

पत्र संख्या
सेवामें,

157 / 16^{वीं}

दिनांक 13/01/2022

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/39452 /2019 जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखौली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना नगेला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/04/2021/एफसी/1205 दिनांक 29.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है—

प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल से प्रभावित होने वाले वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुढना के सिविल सोयम भूमि खसरा नं0 103 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों के रख रखाव हेतु (रु0 11,80,144.00 एवं एनपीवी हेतु कुल वांछित धनराशि रु0 14,78,750) कुल रु0 26,58,894.00 (छब्बीस लाख अट्ठावन हजार आठ से चौरानब्बे रुपये) मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand A/c No. CAMPAUK6139452930 IFSC code UBIN0534498, Union bank of India 52 Sundar Nagar New Delhi Pin 110003 में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न— संलग्नक-1), ग्राम बुढना की सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 48/छब्बीस-10/2020-21 दिनांक 04.10.2021 द्वारा कर दिया गया है (जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का स्वीकृति पत्र एवं दाखिल-खारिज की प्रति संलग्न है—संलग्नक-2)।

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:—**
(क)— वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ख)— गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित कर लिया गया है।
(भूमि के हस्तान्तरण व नामान्तरण की प्रति संलग्नक-2)
4. प्रतिपूरक वनीकरण की लागत जमा कर दी गयी है (संलग्नक-1)।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य:—**
(क) प्रस्ताव के तहत 1.75 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य जमा कर लिया गया है (संलग्नक-1)।
(ख)— एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-3)।
- 6- **Related to DFO**
7. अनुपालन किया जायेगा। वन निगम से पेड़ों के छपान/कटान/ढुलान की की धनराशि की मांग का पत्र प्राप्त होने पर उक्त धनराशि वन निगम के खाते में जमा कर दी जायेगी।
8. (वन निगम / वन विभाग से सम्बन्धित है)।
9. अनुपालन किया जायेगा।

10. एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा—(संलग्नक-4)।
11. सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़ें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा। (संलग्नक-5)
12. अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुपालन किया जायेगा।
14. अनुपालन किया जायेगा।
15. अनुपालन किया जायेगा।
16. अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है (संलग्नक-6)।
17. भूमि की सीमांकन आरसीसी पिलरों का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19. वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी—वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र संलग्न है—संलग्नक-8)।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी—वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है—संलग्नक-9)।
23. अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी—अनुपालन किया जायेगा।
25. अनुपालन आख्या E-Portal (<https://pariyesh.nic.in>) पर अपलोड कर दी गयी है।
सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इं० निर्भय सिंह)

अधिसासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि—

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39452/2019 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39452/2019) Construction of Fatedu to GIC Budhana Nagela Bhet Ekling Kandwalgaon Sunargaon Dhunargaon to Dhanyu Motor road	ROAD3945220199306139452930		29 Jan 2021	CA: 1180144/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1478750/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2658894/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 10 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 07 Aug 2021 On Transaction 10 Aug 2021 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/311912331210/PANSDemandnote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD394522019930)
2	FP/UK/ROAD/10591/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10591/2015) Construction of Thapla name tok to augustamuni Junior High School Mayali under Distt.Sector	ROAD1059120159846110591984		13 Feb 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 218453/-, tree plantation 790000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1008453/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 18 Mar 2018 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 07 Nov 2020 On Transaction 05 Dec 2020 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/31114123612148QAITDemandNote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD105912015984)

7

Counterfoil

State Bank of India

Date 10-2-21

Received

From

By Cheque

Transfer for

RTGS/NEFT

On

Bank Union Bank of India

Branch Lodhi Complex Delhi

Favoring Uttaran Chak Campa

IFSC Code UBIN0903710

A/c No. 150896139452930

Account No.

Amount ₹ 2658894.00

Bank's Charges ₹ Court Payment

Total ₹ 2658894.00

(Rupees Twenty Six Lacs

Fifty Eight thousand Eight

hundred Ninety Four only

कर्मचारी कर्मचारी

बैंक काउंटर से नि. नि.

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या-1612/26-10(2020-21) दिनांक रुद्रप्रयाग दिसम्बर, 27 2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।50/016 (4)
30/12/2021

विषय:-

ग्राम बुढना की ज०वि०र० खतौनी की श्रेणी 9(3)इ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश 48/छब्बीस-10/2020-21 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा०इ०का० बुढना नगोला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव, घुराणगांव होते हुये धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० भूमि के एक्ज में ग्राम बुढना की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या- 103 के खसरा नं०- 1 रक्वा 1.829 हे०, खसरा नं०- 3 रक्वा 1.196 हे० तथा खसरा नं०-6 रक्वा 0.870 हे० मध्ये 0.475 हे० कुल रक्वा 3.500 हे० चयनित/प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार जखोली द्वारा अपने पत्र संख्या- 54/र०का०- अमलदरामद/ 2021-22 दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के क्रम में अवगत कराया गया है कि रा०उ०नि० बुढना द्वारा ग्राम बुढना की ज०वि०र० खतौनी के खतौनी खाता संख्या- 103 के खसरा नं०- 1 रक्वा 1.829 हे०, खसरा नं०- 3 रक्वा 1.196 हे० तथा खसरा नं०-6 रक्वा 0.870 हे० मध्ये 0.475 हे० कुल रक्वा 3.500 हे० सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज०वि०र० खतौनी की नकल की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कम प्रति लक्ष्य 01/12/2021

29/12/21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।
- 2- उप जिलाधिकारी जखोली।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

DN0221/ERM/17
22/12/21
BC/CA

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

22/12/21

संख्या :-

54

/र0का0-अमलदरामद/2021-22 दिनांक 21, दिसम्बर, 2021

विषय :-

ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)इ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-48/छब्बीस-10/2020-21 दिनांक : रुद्रप्रयाग : 04 अक्टूबर, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)इ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व उप निरीक्षक बुढना द्वारा ग्राम बुढना रा0उ0नि0 बुढना तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग की ज0वि0र0 खतौनी खाता की श्रेणी 9(3)इ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 के खसरा संख्या-1 रकबा 1.629 है0, खसरा संख्या-3 रकबा 1.196 है0 तथा खसरा संख्या-6 रकबा 0.870 है0 मध्ये रकबा 0.475 है0 अर्थात् कुल 3.500 है0 सिविल सोयम भूमि भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किया गया, खतौनी की नकल, मय नक्शा संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।
संलग्न-यथोपरि।

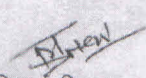
भवदीय,

तहसीलदार
जखोली।

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगेला-मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--18

Dated--27/05/2019

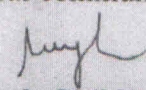
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.7500 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of road from Fatudu to GIC Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaon-Dhurangaon to Dhanyoun Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Budhana** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.75 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2.1 to ... annexure 2.2.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

68

District Magistrate
Rudraprayag

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)** District Magistrate Rudraprayag on date 27/05/2019 at time 4:30 PM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.7500 hect for the Construction of road from Fatudu to GIC Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaon-Dhurangaon to Dhanyoun Motor Road under District Sector (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..27/05/2019


Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

District Magistrate
Rudraprayag

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बुढना

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.7500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.7500 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुढना द्वारा दिनांक 11/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुढना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

सदस्य क्षेत्र पंचायत बुढना
विकास खण्ड जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढ़ना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, - रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढ़ना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण (1.7500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.7500 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 19-09-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|---------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री _____ | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री _____ | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री _____ | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री _____ | वी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढ़ना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 1.7500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुपंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढ़ना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.7500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जखोली, जनपद, रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी
जखोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग
विकास खण्ड जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जखोली, जनपद, रुद्रप्रयाग।

सदस्य क्षेत्र जखोली
विकास खण्ड जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

राजस्व उप विरोक्षक
क्षेत्र-9601...तह...
जनपद-रुद्रप्रयाग

तहसीलदार

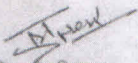
जखोली

जनपद-रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू रो रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


अधिसीसी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

A7235

संलग्नक - 6

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगैला-भैंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

रसोई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगेला-मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


अधिरासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर-मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

उप प्रभागिय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

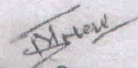
प्रभागिय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगोला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग
के फतेहू से रा0इ0का बुढना नगला-मेंट एकलिंग
कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यो
तक मोटर मार्ग के निर्माण

Page No.....24(11)

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting $1/2 \times 3.40 \times 3.40 \times 3.40$	13500	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	5400	cum
	Total	18900	Cum
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	2700	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	2700	cum
3	Hand packed Stone filling	1300	cum
4	Construction of Wire crate	800	cum
5	Construction of Parapet	200	cum
6	Granular sub base /base/surface	2200	cum
7	Construction of Scupper	850	cum
8	Construction of Road side Drain	350	cum
9	Super elevation & Patri filling	2300	cum
10	Concrete work	500	cum
11	Total	13900	cum
12	Material Disposal by Cartage	5000	cum

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
①	18900	5000 m ³	13900	5000 m ³


Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

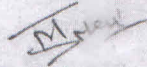

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag


Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग
के फतेह से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव
धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Khasara No.	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	Km 64, 0-2 of Tehri- Ganshali	शक्ति श/0 नेरू	6006	0.04	4.50	1800.00	78°51'3.385"E 30°23'44.998"N
2	1/28	सोनदेई मनरासिंह	6216	0.04	4.50	1800.00	78°51'29.498"E 30°23'11.299"N
3	2/36	कमला देवी महाबल सिंह	6126	0.0324	4.50	1458.00	78°51'46.648"E 30°23'20.579"N


Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag


Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag


Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

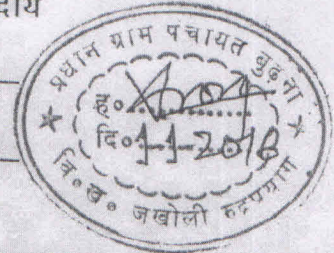
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा0इ0का बुढ़ना नगेला-मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

(Signature)
जनपद रुद्रप्रयाग
विकास खण्ड काला
जनपद रुद्रप्रयाग

भवदीय

नाम-

ग्राम-



क्रास सैक्शन Kanby X-5 0/2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काश्तकारों श्री श.व.व. / नान.व. / म.व.व. पुत्र श्री न.व.व. / म.व.व. / नान.व.व.
ग्राम काला पटवारी वृत्त काला जिला रुद्रप्रयाग के
नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
①	6006	0.04
②	6216	0.04
③	6126	0.0324
	योग	0.04 0.0324

(Signature)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र काला
तहसील काला
जनपद- रुद्रप्रयाग